

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४/निदे०-महा० वि०-५६-०३/२०१५-

राज्य योजना

38

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के राक्षिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ०२.०९.१६

विषय: महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान वेतन मद में ₹१३०.०० लाख, सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹८०००.०० लाख एवं सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में ₹१६१६९.३५ लाख अर्थात् कुल ₹२४२९९.३५ लाख (दो सौ बेयालीस करोड़ निन्यानवे लाख पैंतीस हजार रू०) मात्र उपलब्ध कराते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन कराने एवं व्यय करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष २०१६-१७ से २०१७-१८ तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

२- मांग संख्या-४४ के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-१०२-आर्थिक विकास, उपशीर्ष-०११५-महादलित विकास हेतु, ३१०४-सहायक अनुदान-वेतन, ३१०५-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण, ३१०६-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-विपत्र कोड-P२२२५०११०२०११५ राज्य योजना स्कीम कोड-SST-५४५९ के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक (मु०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर राशि को बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी० एल० खाता संख्यां-PLA-२६४ में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में योजना प्राधिकृत समिति तथा मंत्रिपरिषद से बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली स्वीकृत योजनाओं, यथा बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पत्रांक-१४३४ दिनांक-०१.०८.२०१६ में उल्लिखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक- २५६१ दिनांक १७-४-९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

५- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

६- निकासी एवं व्यय पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलना महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

७- राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबंधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग का निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।


8-- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-4/निदे०-महा० वि०-56-03/2015-के पृष्ठ-42/टि० पर दिनांक-31.08.2016 द्वारा प्राप्त है।

9-- इस प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

10-- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11-- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016--17 में योजना मद में बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-- 4/निदे०-महा० वि०-56-03/2015-- 38 पटना, दिनांक-- 02.09.16

प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा, / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०)--सह--निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, (दोहरी प्रति में)/आई० टी० मैनेजर, /प्रशाखा पदा०-5(निदे०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




सरकार के सचिव।